रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 419] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 23, 1984/कार्तिक 1, 1906
No. 419] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 23, 1984/KARTIKA 1, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1984

सा. का. नि. 740 (अ) :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम (संशोधन) नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1962 में—

(1) नियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"4क—स्टाफ कलाकार की नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति :—

(1) आकाशवाणी और दूरदर्शन में संविदा आधार पर कार्य कर रहे स्टाफ कलाकार की नियमित सरकारी कर्मचारी के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित प्रक्रिया के द्वारा शासित होगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे स्टाफ कलाकार की, जिसने सरकारी कर्मचारी होने का विकल्प दिया है और 28 फरवरी, 1982 को 58 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, प्रारम्भिक गठन में नियमित कार्यक्रम काडर में पद पर उसकी नियुक्ति के लिए एक छानबीन समिति द्वारा, जिसका गठन संघ लोक आयोग द्वारा किया जाएगा, छानबीन की जाएगी;

(ख) छानबीन समिति में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य होगा, जो अध्यक्ष होगा और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले दो से अनधिक ऐसे प्रतिनिधि होंगे जो उपसचिव के स्तर के नीचे के नहीं होंगे, और ये सदस्य होंगे।

(ग) छानबीन समिति, प्रत्येक व्यक्ति की अर्हता, अनुभव और सेवा के अभिलेख पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार जो नियमित कार्यक्रम काडर के उपर्युक्त श्रेणी में रखे जाने/लगाये जाने के सिवाय उपयुक्त समझे गए हैं और उसे संघ लोक सेवा आयोग को उन सिफारिशों के लिए भेजेगी;

(घ) संघ लोक सेवा आयोग, ऐसी सूची प्राप्त होने पर, सूची में सम्मिलिति किए गए व्यक्तियों की उपयुक्तता पर विचार करेगा और संबंधित श्रेणियों के लिए उपयुक्त पाए गए ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश सूचना और प्रसारण मंत्रालय को भेजेगा; परन्तु ऐसे व्यक्ति को, जिसे सरकारी कर्मचारी होने के अयोग्य पाया जाता है, उसकी संविदा की उन्हीं शर्तों और निबंधों के अधीन बने रहने दिया जाएगा;

(ङ) सरकारी कर्मचारी हो जाने के पश्चात् स्टाफ कलाकार एक पृथक प्रवर्ग के रूप में बने रहेंगे और उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता उस श्रेणी में नियमित आधार पर उसके श्रेणी में पद ग्रहण करने की उनकी तारीख के आधार पर अवधारित की जाएगी;

(च) प्रोन्नति के प्रयोजनों के लिए, नियमित कार्यक्रम काडर के अधिकारियों की और उन स्टाफ कलाकारों की, जो सरकारी कर्मचारी हो गए हैं, ज्येष्ठता की अलग-अलग सुविधा होगी, दोनों सूचियों में से अगली श्रेणी में प्रोन्नति कोटा आधार पर होगी, जिसका अनुपात विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की तारीख को प्रत्येक प्रवर्ग में पदों की विद्यमान संख्या पर आधारित होगा;

(छ) किसी अधिकारी की प्रोन्नति के बारे में विचार करते समय उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों के बारे में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जब कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, इस तथ्य को विचार में लाए बिना कि उन्होंने उस श्रेणी में विहित सेवाकाल पूरा कर लिया है या नहीं;

(ज) किसी ऐसे स्टाफ कलाकर का, जो सरकारी कर्मचारी हो गया है, नियमित कार्यक्रम काडर में विलयन, कार्यक्रम काडर में अगली उच्चतर श्रेणी में उसकी प्रोन्नति के समय ही किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन रहते हुए भर्ती की पद्धति, आयुसीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातों से होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।"

2. अनुसूची में, क्र. सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

अनुसूची

1	2	3	4	5
कार्यक्रम कार्यपालक** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। **इसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं जिनका पदनाम निम्नानुसार हैं:— (1) कार्यक्रम कार्यपालक (2) अनुवाचक (3) संपादक (आलेख) (4) संपादक (5) प्रस्तुतकर्ता (6) प्रस्तुतकर्ता श्रेणी II (7) निर्देश अधिकारी	1203* (1983)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित	650-30-740-35-810-द. रो.-35-880-40-1000-द. रो.-40 1200-रु.	चयन

6	6क	7
30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के संविदा वाले कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	नहीं	आवश्यक : (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की एम. ए. या एम. एस. सी. की उपाधि या समतुल्य। (ii) साहित्यिक या नाट्य या वाद-विवाद सम्बन्धी क्रियाकलापों का या प्रकाशनों या लोकप्रिय विज्ञान का अभिलेख। या (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की उपाधि या समतुल्य, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो कार्यक्रम

6	6क	7
		ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो कार्यक्रम कार्यपालक (संगीत) के पद के लिए आवेदन कर रहा है, न्यूनतम अर्हता किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिक पास या समतुल्य, होगी। (ii) नाटक के क्षेत्र में राष्ट्रीय नाटक शाला (नेशनल स्कूल आफ ड्रामा) या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से डिप्लोमा, या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से संगीत में डिप्लोमा गायक या वादक के रूप में प्रसारण के लिए न्यूनतम उच्च श्रेणीकरण आकाशवाणी। या किसी विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त संस्था से पत्रकारिता में डिप्लोमा। या किसी प्रसारण संगठन में प्रस्तुतीकरण और/या कार्यक्रम तैयार करने में कम से कम पांच वर्ष का निरन्तर नियोजन। या लोक या जन जातीय संगीत पर अनुसंधान प्रकाशन या सुगम संगीत की रचना करने में प्रवीणता, इस साक्ष्य के साथ कि ऐसा संगीत फिल्म या प्रसारण संगठन या ग्रामोफोन कम्पनी द्वारा स्वीकार किया गया है। टिप्पण: 1. जनजातीय उपभाषा की बाबत, यदि विहित अर्हताएं वाले पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो स्नातक या समतुल्य अर्हता को संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा। टिप्पण: 2. ठीक ठीक शैक्षिक और अन्य अर्हताएं, भर्ती के समय आवश्यकतानुसार विनिर्दिष्ट की जाएंगी।

8	9	10
नहीं	2 वर्ष	(i) 25 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (ii) 75 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण 1. इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से प्रथम पांच वर्षों की अवधि के लिए प्रोन्नति कोटा 40 प्रतिशत और सीधी भर्ती का कोटा 60 प्रतिशत होगा। टिप्पण 2. उपर्युक्त (ii) की रिक्तियां पदों की भाषा अपेक्षाओं के आधार पर भरी जाएंगी और भर्ती, समय-समय पर, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा विहित चयन परीक्षा के लिए परीक्षा स्कीम के अनुसार की जाएगी।

11	12	13
प्रोन्नति (1) ऐसे सहायक संपादक (जनजातीय उपभाषा), सहायक संपादक (ग्रालेख), सहायक सपादक (फार्म ग्रौर गृह, शैक्षिक प्रसारण, स्पूल प्रसारण, परिवार कल्याण) ग्रौर ग्रालेखक (वेतनमान 550–900रु.); जिन्होंने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है, ग्रौर (2) ऐसे प्रसार कार्यपालक प्रस्तुतीकरण सहायक उप सपादक (ग्रालेख), उप संपादक प्रापर्टी सहायक ग्रौर फ्लौरप्रबंधक (वेतनमान 425–700 रु.), जिन्होंने उस श्रेणी में 8 वर्ष नियमित सेवा की है । टिप्पण : प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची ग्रधिकारियों द्वारा ग्रपनी-ग्रपनी श्रेणी मे पद पर विहित ग्रर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से तैयार की जाएगी ।	समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति : (i) उप महानिदेशक (कार्यक्रम) —ग्रध्यक्ष (ii) उप महानिदेशक (प्रशासन) —सदस्य (iii) उप महानिदेशक, दूरदर्शन —सदस्य (iv) उप सचिव (प्रसारण), सूचना ग्रौर प्रसारण मंत्रालय —सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, ग्रायोग के ग्रनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु, यदि ग्रायोग उनका ग्रनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा ग्रायोग के ग्रध्यक्ष या किसी सदस्य की ग्रध्यक्षता में फिर से होगी ।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा ग्रायोग से परामर्श करना ग्रावश्यक है ।

[संख्या 45011/83/82(ii)-बी (ए)]

शिव राज सिंह, संयुक्त सचिव

मूल नियम, भारत के ग्रसाधारण राजपत्र 1962 के भाग 2, खण्ड 3 के उपखण्ड (i) मे सा.का.नि. संख्या 349, दिनांक 17-3-1962 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे । तत्पश्चात् निम्नलिखित संशोधन ग्रधिसूचित किए गए :—

1. ग्रधिसूचना सं. 4-5-62, तारीख
2. ग्रधिसूचना सं. 11(6)/62-बी(ए), तारीख 18-10-1962
3. ग्रधिसूचना सं. 5(89)/58-बी(ए), तारीख 20-11-1962
4. ग्रधिसूचना सं. 9/7/62-बी(ए), तारीख 8-1-1963
5. ग्रधिसूचना सं. 13/55/61-बी(ए), तारीख 9-7-1963
6. ग्रधिसूचना सं. 5/48/62-बी (ए), तारीख 5-8-1963
7. ग्रधिसूचना स. 11/2/61-बी (ए), तारीख 31-8-1964
8. ग्रधिसूचना सं. 11/3/63-बी (ए), तारीख 23-10-1964
9. ग्रधिसूचना स. 11/6/64-बी (ए), तारीख 28-4-1965
10. ग्रधिसूचना सं. 5/45/65-बी (ए), तारीख नवम्बर, 1965
11. ग्रधिसूचना सं. 11/4/65-बी (ए), तारीख 31-12-1965
12. ग्रधिसूचना सं. 11/8/65-बी (ए) तारीख 1-11-1966
13. ग्रधिसूचना सं. 11 (4)/65 -बी (ए), तारीख 4-12-1966
14. ग्रधिसूचना सं. 7/1/67-बी (ए), तारीख दिसम्बर, 1967
15. ग्रधिसूचना सं. 20/6/67-बी (ए), तारीख फरवरी, 1968
16. ग्रधिसूचना सं. 7/1/67-बी (ए), तारीख 30-1-1968
17. ग्रधिसूचना सं. 20/6/67-बी (ए), तारीख 17-7-1969
18. ग्रधिसूचना सं. 7/12/68-बी (ए), तारीख 19-7-1969 (सा.का.नि. स. 1682)
19. ग्रधिसूचना सं. 17/9/68-बी (ए), तारीख 6-1-1970 (सा.का.नि. सं. 173, तारीख 31-1-70)
20. ग्रधिसूचना सं. 17/7/69-बी (ए), तारीख 21-1-1970
21. ग्रधिसूचना सं. 17/8/69-बी (ए), तारीख 2-4-1970
22. ग्रधिसूचना सं. 7/2/68-बी (ए), तारीख 24-7-1970
23. ग्रधिसूचना सं. 1/4/70-बी (ए), तारीख 25-8-1970
24. ग्रधिसूचना सं. 17/9/69-बी (ए), तारीख 21-2-1972
25. ग्रधिसूचना सं. 1/9/71-बी (ए), तारीख 6-6-1972
26. ग्रधिसूचना स. 1/7/71-बी (ए), तारीख 13-2-1973
27. ग्रधिसूचना स. 1/9/72-बी (ए), तारीख 10-4-1973
28. ग्रधिसूचना सं. 1/15/73-बी (ए), तारीख, 16-2-1974
29. ग्रधिसूचना सं. 1/12/73-बी (ए), तारीख 4-4-1975
30. ग्रधिसूचना सं 1/12/73-बी (ए), तारीख 24-6-1975
31. ग्रधिसूचना सं. 17/9/69-बी (ए), तारीख 11-6-1975
32. ग्रधिसूचना सं. 1/15/75-बी (ए), तारीख 15-4-1976
33. ग्रधिसूचना सं. 1/12/73-बी (ए), तारीख 4-11-1976

34[redacted]सूचना सं. 12019/9/79-बी (ए), तारीख 26-12-1978

35[redacted]धिसूचना सं. 12018/4/77-बी (ए), तारीख 4-9-1980

36. अधिसूचना सं. 12019/1/78-बी (ए), तारीख 16-12-1980

37. अधिसूचना सं. 12019/1/80-बी (ए), तारीख 20-10-1981 (प्रथम संशोधन)

38. अधिसूचना सं. 12018/4/77-बी (ए), तारीख 15-1-1982

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 23rd October, 1984

NOTIFICATION

G.S.R. 740 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules 1962, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the All India Radio (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 1962,—

(1) after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"4.A. Appointment of Staff artist as regular government employee :—

(1) The appointment of staff artist working in All India Radio and Doordarshan on contract basis to that of regular government employee shall be governed by the following procedure, namely :—

(a) a staff artist who has opted to become a government employee and has not attained the age of 58 years on the 28th February, 1982 shall be screened by a Screening Committee to be constituted by the Union Public Service Commission for his appointment to post in the regular programme cadre in the initial constitution;

(b) the Screening Committee shall consist of the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission, who shall be the President and not more than two representatives not below the rank of Deputy Secretary to be nominated by the Ministry of Information and Broadcasting who shall be members thereof;

(c) the Screening Committee shall, after taking into account the qualification, experience and record of service of every person prepare a list of such persons considered suitable for placement/fitment in the appropriate grade in the regular programme cadre and submit the same to the Union Public Service Commission for their recommendation;

(d) the Union Public Service Commission shall, on receipt of such list, consider the suitability of persons included in the list and forward its recommendation for appointment of such persons found suitable to the respective grade to the Ministry of Information and Broadcasting :

Provided that a person who is found unfit to become a government employee shall be allowed to continue under the same terms and conditions of his contract.

(e) staff artists after becoming Government employee shall continue as a separate category and their interse seniority shall be determined on the basis of their date of joining in the post in the grade on regular basis;

(f) for the purposes of promotion there shall be separate lists of seniority of officers of regular programme cadre and that of staff artists who have become government employees; promotion to the next grade from the two lists shall be on quota basis, the ratio of which shall be based on the existing number of posts in each category on the date of holding of the Departmental Promotion Committee;

(g) for considering an officer for promotion all persons senior to him in the grade shall also be considered provided they have successfully completed their period of probation irrespective of the fact whether they have rendered the prescribed length of service in the grade;

(h) the merger of a staff artist who has become a government employee with the regular programme cadre shall be made only at the time of his promotion to the next higher grade in the programme cadre.

(2) Subject to sub-rule (1), the method of recruitment, age limit, qualification and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule."

2. In the Schedule, for serial number 1 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE

1	2	3	4	5	6	6(a)
1. Programme Executive**	1203* (1983) *Subject to variation dependent on workload. **This include posts designated as :— (1) Programme Executive (2) Translator (3) Editor (Scripts) (4) Editor (5) Producer (6) Producer Grade II (7) Reference Officer	General Central Service Group 'B' Gazetted	Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200.	Selection	Not exceeding 30 years. (Relaxable for Government servants and contract employees of All India Radio and Doordarshan upto 5 years in accordance to the instructions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman & Nicobar Island and Lakshdweep).	No

7	8	9	10
Essential : (A) (i) M.A. or M.Sc. degree of a recognised University or equivalent. (ii) A record of literary or dip-dramatic or debating activities or publications or popular science. Or (B) (i) Degree of a recognised University or equivalent provided that for candidate applying for posts of Programme Executive (Music), the minimum qualification shall be matric Pass from a recognised School/Board/University or equivalent. (ii) Diploma from the National School of drama or any other recognised Institution in the field of drama; or Diploma in music from a recognised Institutions; Or A minimum of 'B' High Grading by All India Radio for braodcasting as a vocalist or instrumentalist; Or A Diploma in Journalism from a University or a recognised Institution; Or Not less than 5 years' continuous employment in production and/or programming in a broadcasting organisation. Or Research publication on folk or tribal music; or proficiency in composing light music with evidence of such music having been accepted by film or broadcasting organisation or gramophone company.	No.	2 Years	(i) 25% by promotion failing which by direct recruitment. (ii) 75% by direct recruitment. Note 1 :—For a period of first 5 years from the date of commencement of these rules, the promotion quota shall be 40% and direct recruitment quota 60%. Note 2 :—The vacancies against (ii) above will be filled on the basis of language requirements of the posts and recruitment will be made in accordance with the scheme of examination/selection test as prescribed by the Ministry of Information and Broadcasting in consultation with the Union Public Service Commission from time to time.

7	8	9	10
Note 1 :—In respect of tribal dialects, if sufficient candidates with prescribed qualifications are not available, graduate or equivalent qualification may be relaxed at the discretion of Union Public Service Commission. Note 2 :—The exact educational and other qualifications shall be specified according to requirement at the time of recruitment.			

11	12	13
Promotion : (1) Assistant Editor (Tribal Dialects), Assistant Editor (Scripts), Assistant Editor (Farm & Home, Educational Broadcast, School Broadcast Family Welfare) and Scripts Writers (Pay Scale Rs. 550-900) with 3 years' regular service in the grade; and (2) Transmission Executive; Production Assistants, Sub-Editor (Scripts), Sub-Editor, Property Assistant and Floor Manager (Pay Scale Rs. 425-750) with 8 years' regular service in the grade. Note : The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective grade/post.	Group 'B' Departmental Promotion Committee : (i) Deputy Director General (Programme) —Chairman (ii) Deputy Director General (Administration) —Member (iii) Dy. Director General, Doordarshan —Member (iv) Deputy Secretary (Broadcasting), Ministry of Information and Broadcasting —Member Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or Member of the Union Public Service Commission shall be held.	Consultation with the Union Public Service Commission necessary while making direct recruitment.

[No. 45011/83/81(ii)-B(A)]
S. R. SINGH, Jt. Secy.

Note :—Principal rules published vide GSR No. 347 dated 17-3-1962 Gazette of India 1962 (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-Section (i) subsequently amended by :—

1. Notification dated 4-5-62.
2. Notification No. 11(6)/62-B(A), dated 18-10-1962
3. ,, No. 5(89)/58-B(A), dated 20-11-1962
4. ,, No. 9/7/62-B(A), dated 8-1-1963
5. ,, No. 13/55/61-B(A), dated 9-7-1963
6. ,, No. 5/48/62-B(A), dated 5-8-1963
7. ,, No. 11/2/61-B(A), dated 31-8-1964
8. ,, No. 11/3/63-B(A), dated 23-10-1964
9. ,, No. 11/6/64-B(A), dated 28-4-1965
10. ,, No. 5/45/65-B(A), dated Nov., 1965
11. ,, No. 11/4/65-B(A), dated 31-12-1965
12. ,, No. 11/8/65-B(A), dated 1-11-1966
13. ,, No. 11(4)/65-B(A), dated 4-12-1966
14. ,, No. 7/1/67-B(A), dated Dec., 1967
15. ,, No. 20/6/67-B(A), dated Feb., 1968
16. ,, No. 7/1/67-B(A), dated 30-4-1968
17. ,, No. 20/6/67-B(A), dated 17-7-1969
18. ,, No. 7/12/68-B(A), dated 19-7-69 (GSR No. 1682)
19. ,, No. 17/9/68-B(A), dated 6-1-1979 (GSR No. 173, dated 31-1-70)
20. ,, No. 17/7/69-B(A), dated 21-1-1970
21. ,, No. 17/8/69-B(A), dated 2-4-1970
22. ,, No. 7/2/68-B(A), dated 24-7-1970

23. Notification No. 1/4/70-B(A), dated 25-8-1970
24. ,, No. 17/9/69-B(A), dated 21-2-1972
25. ,, No. 1/9/71-B(A), dated 6-6-1972
26. ,, No. 1/7/71-B(A), dated 13-2-1973
27. ,, No. 1/9/72-B(A), dated 10-4-1973
28. ,, No. 1/15/73-B(A), dated 16-2-1974
29. ,, No. 1/12/73-B(A), dated 4-4-1975
30. ,, No. 1/12/73-B(A), dated 24-6-1975
31. ,, No. 17/9/69-B(A), dated 11-6-1975
32. ,, No. 1/15/75-B(A), dated 15-4-1976
33. ,, No. 1/12/73-B(A), dated 4-11-1976
34. ,, No. 12019/9/78-B(A), dated 26-12-1978
35. ,, No. 12018/4/77-B(A), dated 4-9-1980
36. ,, No. 12019/1/78-B(A), dated 16-12-1980
37. ,, No. 12019/1/80-B(A), dated 20-10-1981 (1st amendment)
38. ,, No. 12018/4/77-B(A), dated 15-1-1982.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984